



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र - (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 1922 / रेनुकूट / 15-26 दिनांक, रेनुकूट, 13-12-2022
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अंतर्गत मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को 132 के०बी० विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे० आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या-2038/11-सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक-12.10.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 12.10.2022 द्वारा 14 बिन्दुओं पर इंगित की गयी कमियों का निराकरण कराते हुए प्रस्ताव की तीन प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए संस्तुति सहित निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र०सं०	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-2690/11-सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक-24.03.2022 में इंगित की गयी कमियों का विवरण ।	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	हार्डकापी भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित विवरण आदि का पुनः उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विवरण का उल्लेख करते हुये पूर्ण हार्डकापी भाग-2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि नवीनीकरण से संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपम क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित विवरण को भरने हेतु कोई कालम नहीं दर्शाया गया है जिसके कारण हार्ड कापी में विवरण नहीं भरा गया है । क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित विवरण ऑन लाईन भाग-2 के क्रम संख्या-13(i)(ii)(iii) में अपलोड करने हेतु प्रारूप दिया गया है जिसमें अपलोड कराते हुए संबंधित अभिलेखों को चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव में यथा स्थान संलग्न किया गया है ।
2	प्रस्ताव में संलग्न उपयुक्तता प्रमाण पत्र, पृष्ठ संख्या-53 पर संलग्नक-30 तथा प्रभागीय वनाधिकारी के DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में सी०ए० का नाम, विवरण व कम्पार्टमेन्ट नम्बर संलग्न जियो रेफरेन्स मानचित्र में उल्लेख किये गये विवरण से भिन्न है । अतः सही उपयुक्तता प्रमाण पत्र , संलग्नक-30 तथा DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित अभिलेखों को संशोधित कराते हुए प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।

3	प्रस्ताव में संलग्न सी0ए0 स्थल का जियो रेफरेन्स मानचित्र पुनः रंगीन व मूल में संलग्न नहीं किया गया है । अतः प्रस्ताव में रंगीन जियो रेफरेन्स मानचित्र मूल में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में जियो रेफरेन्स मानचित्र रंगीन व मूल में संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
4	प्रस्ताव में सी0ए0 स्थल की टोपोशीट पर लीजेण्ड गलत अंकित है । अतः सही लीजेण्ड अंकित कर संशोधित टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित अभिलेखों को संशोधित कराते हुए प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
5	प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों को पुनः अलग-अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः संशोधित प्रस्ताव की एक पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कराते हुए पेनड्राइव की प्रति संलग्न है ।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की 3 प्रति ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या— अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट—सोनभद्र को उनके पत्र दिनांक—14.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त नवीनीकरण प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट